न्यायालय— सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.), रानी, जिला— पाली

पिठासीन अधिकारी— अदिति पुरोहित (R.A.S.)
राजस्व मूल वाद संख्या— 28 / 2002
वर्तमान नया राजस्व मूल वाद संख्या— 16 / 2013
तारीख निर्णय— 2 / 8 / 2019

वादीगण—

1— लकमाराम पुत्र नैनाजी,
2— खरताराम पुत्र नैनाजी,
3— कस्तु बेवा नैनाजी,
जातिगण— सिरवी, निवासीगण— सेपटावा, तहसील— रानी, जिला— पाली (राज0)

—: बनाम :—

प्रतिवादीगण—

1— मृत मगनसिंह पुत्र हरीराम, जाति— पुरोहित, नि0 सेपटावा के कायम मुकाम वारिसान—
1 / 1— कन्या देवी पत्नि मगनसिंह,
1 / 2— शैतानसिंह पुत्र मगनसिंह,
1 / 3— चन्दुसिंह पुत्र मगनसिंह,
1 / 4— हिम्मतसिंह पुत्र मगनसिंह,
1 / 5— लीलादेवी पुत्री मगनसिंह,
1 / 6— उसीया पुत्री मगनसिंह,
1 / 7— पवन पुत्री मगनसिंह,
1 / 8— अनिता पुत्री मगनसिंह,
जातिगण— पुरोहित, निवासीगण— सेपटावा, तहसील— रानी, जिला— पाली (राज0)
2— राज0 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, रानी
3— सचिव, पाली जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, पाली
4— शाखा प्रबन्धक मारवाड ग्रामीण बैंक शाखा—बूसी।

—: वाद अन्तर्गत धारा— 88, 91, 188, राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955 :—

उपस्थिति—

1— श्री महेन्द्र शर्मा एवं श्री राजेन्द्रसिंह परमार अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2— प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।

—: निर्णय :— दिनांक—2 / 8 / 2019

संक्षेप मे प्रकरण हाजा के तथ्य इस प्रकार है कि—वादीगण की ओर से यह वाद अन्तर्गत धारा— 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम— सेपटावा, तहसील— देसूरी (वर्तमान तहसील—रानी) के सेटलमेंट पूर्व के खसरा नम्बर— 152 रकबा— 81 बीघा 18 बिस्वा की कृषि भूमि स्थित थी, जिसके पूर्व खातेदार

———क्रमशः पेज— 2 पर.......

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

मगनसिंह, पृथ्वीराज पिसरान हरिराम पुरोहित थे। वादीगण संख्या–1 व 2 के पिता व वादी संख्या–3 के पति नेना पुत्र हुकमा जाति– सिरवी ने मगनसिंह व पृथवीराज से ग्राम सेपटावा के पूर्व खसरा नम्बर– 152 रकबा– 81 बीघा 18 विस्वा किस्म बारानी द्वितीय मे जरिये रजिस्टर्ड बेचान नामा रकबा– 12 बीघा भूमि दिनांक– 24/03/73 के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, जिसका म्युटेशन द्वारा वादीगण संख्या–1 व 2 के पिता व वादी संख्या–3 के पति का जमाबंदी सम्वत् 2031 से 2034 मे नाम दर्ज हुआ तत्पश्चात् वादीगण संख्या–1 व 2 के पिता व वादी संख्या–3 के पति ने मगनसिंह, पृथवीराज पि0 हरिराम पुरोहित साकिन– सेपटावा से खसरा नम्बर– 152 रकबा– 69 बीघा 18 विस्वा भूमि से रकबा– 8 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान–नामा दिनांक– 13/03/78 की खरीद की व भूमि का कब्जा प्राप्त किया इस प्रकार वादीगण संख्या–1 व 2 के पिता व वादी संख्या–3 के पति नेना पुत्र हुकमा जाति– सिरवी ने प्रतिवादीगण संख्या–1 व उसके भाई पृथवीराज से दोनो बेचान द्वारा खसरा नम्बर– 152 रकबा– 81 बीघा 18 विस्वा मे से 20 बीघा कृषि भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया व खातेदारी अधिकार प्राप्त किये, जिसका द्वितीय सेटलमेंट मे खसरा खतौनी सम्वत् 2036 मे खसरा नम्बर– 152/1 रकबा– 12 बीघा व खसरा नम्बर– 152 रकबा– 8 बीघा कुल रकबा– 20 बीघा के नये खसरा नम्बर– 204 रकबा– 3.22 हैक्टर बने। वादीगण संख्या–1 व 2 के पिता व वादीगण संख्या–3 के पति नेना पुत्र हुकमा जाति– सिरवी के नाम खातेदारी दर्ज हुई व अलग खाता बना व पर्चा लगान जारी किया गया जो वादीगण संख्या–1 व 2 के पिता व वादीगण संख्या–3 के पति के नाम से हुआ है। वर्तमान खसरा नम्बर– 204 रकबा– 3.22 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम वार्षिक लगान रूपये– 22.54 रूपये वक्त द्वितीय सेटलमेंट मे वादीगण संख्या–1 व 2 के पिता व वादीगण संख्या–3 के पति नेना पुत्र हुकमा जाति– सिरवी निवासी– सेपटावा की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी तथा द्वितीय सेटलमेंट के पश्चात् सम्वत् 2047 से 2050 की जमाबंदी मे प्रतिवादीगण संख्या–1 व प्रतिवादीगण संख्या–2 के अधिन राजस्व कर्मचारी हल्का पटवारी ने धोखा धडी कर भूमि हडपने के उद्धेश्य से प्रतिवादी संख्या–1 को अवैध लाभ पहुचाने के उद्धेश्य से बिना अधिकार के वादीगण संख्या–1 व 2 के पिता व वादीगण संख्या–3 के पति नेना पुत्र हुकमा जाति– सिरवी निवासी– सेपटवा की खातेदारी कृषि भूमि खाता सं0– 92 खसरा नम्बर– 204 रकबा– 3.22 हैक्टर किस्म बारानी दर्ज था, को राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे गलत इन्द्राज दर्ज किया व नेना पुत्र हुकमा के स्थान पर नेमा पुत्र हुकमा जाति– सिरवी 1/2 हिस्सा दर्ज किया व 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या–1 के नाम दर्ज किया। जो बिना आधार से गलत रूप से किया है। जबकि उक्त खसरा नम्बर– 204 की सम्पूर्ण कृषि भूमि का खातेदारी हक हकूक विधि अनुसार वादीगण संख्या–1 व 2 के पिता व वादीगण संख्या–3 के पति नेना पुत्र हुकमा मे निहित है तथा प्रतिवादी संख्या–1 ने उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर– 204 रकबा– 3.22 हैक्टर का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या–3 व प्रतिवादीगण संख्या–4 के पास रहन रख कर ऋण उठाया जबकि प्रतिवादीगण संख्या–1 को उक्त भूमि रहन रखने का कोई विधिक अधिकार नही था। वादीगण संख्या–1 व 2 के पिता व वादीगण संख्या–3 के पति नेना

——क्रमशः पेज– 3 पर.....

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

पुत्र हुकमा का 8 माह पूर्व देहांत हो चुका है तथा नेना पुत्र हुकमा कौम– सिरवी निवासी– सेपटावा के विधिक उत्तराधिकारी वादीगण है इसलिए खसरा नम्बर– 204 रकबा– 3.22 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम मे नेना पुत्र हुकमा की मृत्यु होते ही खातेदारी हक हकूक वादीगण मे निहित हो गये व उक्त कृषि भूमि पर वादीगण संख्या–1 व 2 के पिता व वादीगण संख्या–3 के पति का वक्त खरीद से मृत्यु तक कब्जा काश्त रहा व मृत्यु के बाद वादीगण का कब्जा काश्त है। प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा उक्त खसरा नम्बर– 204 रकबा– 3.22 हैक्टर पर नही है। प्रतिवादीगण संख्या–1 व प्रतिवादीगण संख्या–2 के अधिनस्थ कर्मचारी हल्का पटवारी ने द्वितीय सेटलमेंट के बाद सम्वत् 2047 से 2050 तक की जमाबंदी मे षडयंत्रपूर्वक धोखा धडी कर के वादीगण संख्या–1 व 2 के पिता व वादीगण संख्या–3 के पति नेना पुत्र हुकमा सिरवी के स्थान पर नेमा पुत्र हुकमा सिरवी 1/2 हिस्सा व मगनसिंह पुत्र हरिराम कौम पुरोहित का 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज किया, जो आधारहिन गलत रूप से दर्ज किया है। ग्राम सेपटावा के खसरा नम्बर– 204 रकबा– 3.22 हैक्टर कृषि भूमि का वक्त खरीद से आज तक वादीगण के पूर्वज व वर्तमान मे वादीगण का कब्जा व काश्त है, लगान वादीगण ने अदा की है। प्रतिवादीगण संख्या–1 का गलत बदनियति व धोखा धडी करके छलपूर्वक 1/2 हिस्सा दर्ज हुआ है जबकि प्रतिवादीगण का कोई हक हकूक नही है इसलिए वादीगण खसरा नम्बर– 204 रकबा– 3.22 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम वार्षिक लगान 22.54 रूपये मे दर्ज खातेदार 1/2 हिस्सा नेमा पुत्र हुकमा के स्थान पर नेना पुत्र हुकमा शुद्धिकरण करते हुए वादीगण पुरे रकबे का खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद पेश है। ग्राम सेपटवा के खसरा नम्बर– 204 रकबा– 3.22 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम वार्षिक लगान रूपये– 22.54 की कृषि भूमि मे से प्रतिवादीगण संख्या–1 ने 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या– 3 व 4 के पास रहन रख कर ऋण प्राप्त किया, जो गलत व आधारहिन बदनियतिपूर्वक है। प्रतिवादी संख्या–1 को उक्त कृषि भूमि पर कोई हक हकूक खातेदारी बाबत प्राप्त नही होते हुए भी प्रतिवादीगण संख्या–3 व 4 ने रहन रखा जबकि उक्त कृषि भूमि वादीगण की मालिकाना व स्वामित्व की है। यह वाद उक्त कृषि भूमि का 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या–3 व 4 से रहन मुक्त की घोषणा हेतू भी पेश है। वादीगण के कब्जा काश्त सुदा खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर– 204 रकबा– 3.22 हैक्टर बारानी कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण एक राय होकर दिनांक– 10/03/2002 को दिन मे आये व भूमि का निरीक्षण किया। वादीगण संख्या–1 व 2 ने पूछा तो बताया कि उक्त भूमि का 1/2 हिस्सा निलाम होगा यह प्रतिवादी संख्या–1 के नाम है तब वादीगण संख्या–1 व 2 ने कहा व विनिती की कि यह भूमि हमारे पूर्वज के समय से हमारी है तो भी नही माने व कहा कि निलाम करेगे व तुम्हे जबरन पुलिस बल से बाहर निकालेगे तब वादीगण ने पटवारी से रेकर्ड की जांच की तब पता चला कि रेकर्ड मे नाम भी गलत दर्ज किया व रहन रख दी, वादीगण ने पटवारी से नकले प्राप्त की व अन्य तहसील रेकर्ड से नकले प्राप्त की। इस प्रकार प्रतिवादीगण वादीगण को बेदखल करने की धमकी देने के कारण व निलामी की धमकी देने के कारण स्थायी निषेधाज्ञा के द्वारा रोकने हेतू भी वाद पेश है।

——क्रमशः पेज– 4 पर.....

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण की तलबी की गई। बाद तलबी प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा जबाबदावा प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह उजर लिया कि खसरा नम्बर– 152 रकबा– 81 बीघा 18 विस्वा के खातेदार मगनसिंह, पृथ्वीराज पिसरान हरीरामजी कौम– पुरोहित है। इस कृषि भूमि मे से 10 बीघा कृषि भूमि दो भागो मे पृथ्वीराज पुत्र हरीरामजी पुरोहित ने मृत नेना पुत्र हुकमा जाति– सीरवी, निवासी– सेपटावा ने बेची। प्रतिवादी नम्बर–1 मगनसिंह पुत्र हरीरामजी कौम– पुरोहित सा0 सेपटावा ने मृत नेना पुत्र हुकमा जाति– सीरवी को कृषि भूमि बेचान नही की न ही प्रतिफल की राशि प्राप्त प्रतिवादी नं0–1 मगनसिंह ने मृत नेना पुत्र हुकमा सीरवी से प्राप्त किया, न ही मगनसिंह ने कब्जा मृत नेना को सुपुर्द किया इसलिए इस कृषि भूमि के नये खसरा नम्बर– 204 क्षेत्रफल– 3.22 हैक्टर मे प्रतिवादी नम्बर–1 मगनसिंह का 1/2 हिस्सा व मृत नेना पुत्र हुकमा का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। प्रतिवादी संख्या–1 ने कोई गलत इन्द्राज नहीं करवाया है कानून के माफिक राजस्व रेकर्ड तैयार रखने की जुम्मेवारी राजस्व अधिकारीयो/कर्मचारियो की है वादीगण पूरे रकबे की खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के अधिकारी नही है। वादीगण किसी प्रकार से स्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नही है प्रतिवादी नं0–1 मगनसिंह रेकर्डेड टिनेन्ट है एवं रकर्डेड टिनेन्ट के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है एवं प्रतिवादी नं0–1 को अपने हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि के विधिनुसार काश्त करने का अधिकार है आदि का उजर करते हुए वादीगण का वाद मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा दिनांक– 14/12/2007 को प्रकरण मे तनकियात कायम की जाकर विरचित की गई एवं पत्रावली शहादत वादी मे रखी गई। एवं वादीगण की ओर से गवाह लकमाराम का साक्ष्य शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिससे पत्रावली गवाह के जिरह मे चली। इस दरमियान वकील वादी द्वारा प्रार्थना प्रतिवादी संख्या–1 की मृत्यु हो जाने से उसके कायम मुकामो को रिकार्ड पर लिये जाने हेतू प्रस्तुत किया गया। इस दरम्यान श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार देसूरी/पाली उपखण्ड कार्यालय से स्थानान्तरित दिनांक– 13/09/2013 को इस न्यायायल को प्राप्त हुई जिस पर इस न्यायालय मे प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर पक्षकारान/अधिवक्ता को सूचित/नोटिस जारी किये। मृत प्रतिवादी संख्या–1 के कायम मुकामो को रेकर्ड पर लिये जाने हेतू वकील वादीगण द्वारा संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया एवं कायम मुकामो की तलबी हेतू न्यायालय के आदेश से अखबार मे प्रकाशन करवाया गया। जिस अखबार की प्रति न्यायालय मे पेश की गई। एवं प्रतिवादी संख्या–1 के कायम मुकाम बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादीगण की ओर से अपनी साक्ष्य मे गवाह पीडब्लू–1 लकमाराम के बयान लेखबद्ध कराये एवं न्यायालय मे परीक्षित कराये गये एवं इस गवाह द्वारा दस्तावेजात प्रदर्शित कराये गये एवं वादीगण की ओर से गवाह खरताराम एवं कस्तु के साक्ष्य शपथ–पत्र प्रस्तुत किये जो शामिल मिसल

——क्रमशः पेज– 5 पर.....

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

किये गये। प्रतिवादीगण संख्या–3 व 4 अनुपस्थित रहे, जिनकी तरफ से कोई जबाबदावा प्रस्तुत नही हुआ।

बहस एकपक्षीय वकील वादीगण की समायत की गई। वकील वादीगण द्वारा वाद–पत्र मे दर्ज तथ्यो को दौहराते हुए वाद–पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली एवं पत्रावली पर उलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य आदि का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया जाकर प्रकरण हाजा मे तनकी वाईज विनिश्चय एवं निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है–

1– तनकी नम्बर– आया वाद पत्र के च0सं0–1 के अनुसार विवादित आराजी वादीगण मे से 20 बीघा आराजी वादीगण द्वारा प्रतिवादी से खरीद कर कब्जा एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त किये–

इस तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखिय साक्ष्य प्रदर्श–1–ए एवं प्रदर्श–2 ए रजिस्टर्ड विकय विलेखे की प्रतियो से प्रतिवादी सं0–1 एवं उसके भाई पृथ्वीराज की खातेदारी की आराजी पुराने खसरा नम्बर– 152 मे से रकबा– 12 बीघा प्रदर्श पी–1–ए रजिस्टर्ड विकय विलेख के जरिये एवं 8 बीघा प्रदर्श–पी–2–ए रजिस्टर्ड विकय विलेख जरिये इस प्रकार कुल– 20 बीघा भूमि वादीगण के पूर्वज नेना पुत्र हुकमा द्वारा खरीद किया जाना एवं उक्त रजिस्टर्ड विकय विलेखो के जरिये विकय सुदा भूमि का कब्जा केता नेना पुत्र हुकमा को सुपुर्द किया जाना साबित होता है। अतः इन तनकी को वादीगण के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

2– तनकी नम्बर– आया वाद–पत्र के च0सं0–2 के वर्णित अनुसार वादीगण की खातेदारी भूमि का गलत इन्द्राज होकर प्रतिवादी ने प्रतिवादी 3 व 4 से मिलकर गलत ढंग से ऋण उठा दिया–

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। तनकी नम्बर–1 के विवेचन अनुसार वादग्रस्त भूमि रकबा– 20 बीघा इसके खातेदारो प्रतिवादी सं0–1 एवं पृथवीराज द्वारा वादीगण के पिता/पति नेना पुत्र हुकमा को विकय कर दिये जाने से प्रतिवादी सं0–1 का वादग्रस्त भूमि मे कानूनन कोई हक हिस्सा एवं अधिकार नही रहता है, जिससे प्रतिवादी सं0–1 को इस पर ऋण उठाने का कानूनन हक अधिकार नही रहता है, जिससे प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा गलत रूपेण वादग्रस्त भूमि पर ऋण उठाना प्रतीत होता है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

3– तनकी नम्बर– 3 – आया वाद–पत्र के च0 सं0–3 के वर्णानुसार विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा होकर प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा नही है–

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वज पिता/पति नेना पुत्र हुकमा द्वारा प्रतिवादी संख्या–1 एवं उसके भाई

——कमशः पेज– 6 पर.....

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

पृथ्वीराज से बजरिये दो रजिस्टर्ड विकय विलेखो प्रदशपी–1ए एवं प्रदश पी–2–ए के बएवज प्रतिफल राशि के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था, जो उक्त रजिस्टर्ड विकय विलेखो से बखुबी साबित है एवं नेना पुत्र हुकमा के जीवनकाल तक उसका एवं उसकी मृत्यु पश्चात् उसके विधिक वारिसान वादीगण का अधिकार के रूप मे कब्जा काश्त चला आ रहा होना साबित होता है एवं चूँकि वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या–1 एवं उसके भाई पृथ्वीराज द्वारा बजरिये रजिस्टर्ड विकय विलेखो के विकय कर दिये जाने से उनका कानूनन कोई हक हिस्सा नही रहता है अतः उक्त विवेचन अनुसार इस तनकी को वादीगण के पक्ष मे निर्णित किया जाता है।

<u>4– तनकी नम्बर–4–</u> आया वाद–पत्र की च.स. 4 के वर्णानुसार वादी पूरे रकबे का खातेदारी घोषित कराने का अधिकारी है –

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा यह वाद मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि– मौजा ग्राम– सेपटावा, तहसील– देसूरी (वर्तमान तहसील–रानी) के सेटलमेंट पूर्व के खसरा नम्बर– 152 रकबा– 81 बीघा 18 विस्वा की कृषि भूमि स्थित थी, जिसके पूर्व खातेदार मगनसिंह, पृथ्वीराज पिसरान हरिराम पुरोहित थे। वादीगण संख्या–1 व 2 के पिता व वादी संख्या–3 के पति नेना पुत्र हुकमा जाति– सिरवी ने मगनसिंह व पृथवीराज से ग्राम सेपटावा के पूर्व खसरा नम्बर– 152 रकबा– 81 बीघा 18 विस्वा किस्म बारानी द्वितीय मे जरिये रजिस्टर्ड बेचान नामा रकबा– 12 बीघा भूमि दिनांक– 24/03/73 के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, जो रजिस्टर्ड विकय विलेखो प्रदर्श पी–1ए से साबित होता है, जिसका म्युटेशन द्वारा वादीगण संख्या–1 व 2 के पिता व वादी संख्या–3 के पति का जमाबंदी सम्वत् 2031 से 2034 मे नाम दर्ज हुआ तत्पश्चात् वादीगण संख्या–1 व 2 के पिता व वादी संख्या–3 के पति ने मगनसिंह, पृथवीराज पि0 हरिराम पुरोहित साकिन– सेपटावा से खसरा नम्बर– 152 रकबा– 69 बीघा 18 विस्वा भूमि से रकबा– 8 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान–नामा दिनांक– 13/03/78 की खरीद की व भूमि का कब्जा प्राप्त किया, जो उक्त रजिस्टर्ड विकय विलेख प्रदर्श पी–2ए से साबित होता है इस प्रकार वादीगण संख्या–1 व 2 के पिता व वादी संख्या–3 के पति नेना पुत्र हुकमा जाति– सिरवी ने प्रतिवादीगण संख्या–1 व उसके भाई पृथवीराज से दोनो बेचान द्वारा खसरा नम्बर– 152 रकबा– 81 बीघा 18 विस्वा मे से 20 बीघा कृषि भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया व खातेदारी अधिकार प्राप्त किये, जिसका द्वितीय सेटलमेंट मे खसरा खतौनी सम्वत् 2036 मे खसरा नम्बर– 152/1 रकबा– 12 बीघा व खसरा नम्बर– 152 रकबा– 8 बीघा कुल रकबा– 20 बीघा के नये खसरा नम्बर– 204 रकबा– 3.22 हैक्टर बने, जो प्रदर्श पी–3 एवं मिलान क्षेत्रफल से साबित होता है। वादीगण संख्या–1 व 2 के पिता व वादीगण संख्या–3 के पति नेना पुत्र हुकमा जाति– सिरवी के नाम खातेदारी दर्ज हुई व अलग खाता बना व पर्चा लगान जारी किया गया जो वादीगण संख्या–1 व 2 के पिता व वादीगण संख्या–3 के पति के नाम से हुआ है। वर्तमान खसरा नम्बर– 204 रकबा– 3.22 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम वार्षिक लगान रूपये– 22.54 रूपये वक्त द्वितीय सेटलमेंट मे वादीगण संख्या–1 व 2 के पिता व वादीगण संख्या–3 के

——कमशः पेज– 7 पर.....

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

पृथ्वीराज से बजरिये दो रजिस्टर्ड विकय विलेखो प्रदशपी–1ए एवं प्रदश पी–2–ए के बएवज प्रतिफल राशि के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था, जो उक्त रजिस्टर्ड विकय विलेखो से बखुबी साबित है एवं नेना पुत्र हुकमा के जीवनकाल तक उसका एवं उसकी मृत्यु पश्चात् उसके विधिक वारिसान वादीगण का अधिकार के रूप मे कब्जा काश्त चला आ रहा होना साबित होता है एवं चूंकि वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या–1 एवं उसके भाई पृथ्वीराज द्वारा बजरिये रजिस्टर्ड विकय विलेखो के विकय कर दिये जाने से उनका कानूनन कोई हक हिस्सा नही रहता है अतः उक्त विवेचन अनुसार इस तनकी को वादीगण के पक्ष मे निर्णित किया जाता है।

<u>4– तनकी नम्बर–4–</u> आया वाद–पत्र की च.स. 4 के वर्णानुसार वादी पूरे रकबे का खातेदारी घोषित कराने का अधिकारी है –

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा यह वाद मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि– मौजा ग्राम– सेपटावा, तहसील– देसूरी (वर्तमान तहसील–रानी) के सेटलमेंट पूर्व के खसरा नम्बर– 152 रकबा– 81 बीघा 18 विस्वा की कृषि भूमि स्थित थी, जिसके पूर्व खातेदार मगनसिंह, पृथ्वीराज पिसरान हरिराम पुरोहित थे। वादीगण संख्या–1 व 2 के पिता व वादी संख्या–3 के पति नेना पुत्र हुकमा जाति– सिरवी ने मगनसिंह व पृथवीराज से ग्राम सेपटावा के पूर्व खसरा नम्बर– 152 रकबा– 81 बीघा 18 विस्वा किस्म बारानी द्वितीय मे जरिये रजिस्टर्ड बेचान नामा रकबा– 12 बीघा भूमि दिनांक– 24/03/73 के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, जो रजिस्टर्ड विकय विलेखो प्रदर्श पी–1ए से साबित होता है, जिसका म्युटेशन द्वारा वादीगण संख्या–1 व 2 के पिता व वादी संख्या–3 के पति का जमाबंदी सम्वत् 2031 से 2034 मे नाम दर्ज हुआ तत्पश्चात् वादीगण संख्या–1 व 2 के पिता व वादी संख्या–3 के पति ने मगनसिंह, पृथवीराज पि0 हरिराम पुरोहित साकिन– सेपटावा से खसरा नम्बर– 152 रकबा– 69 बीघा 18 विस्वा भूमि से रकबा– 8 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान–नामा दिनांक– 13/03/78 की खरीद की व भूमि का कब्जा प्राप्त किया, जो उक्त रजिस्टर्ड विकय विलेख प्रदर्श पी–2ए से साबित होता है इस प्रकार वादीगण संख्या–1 व 2 के पिता व वादी संख्या–3 के पति नेना पुत्र हुकमा जाति– सिरवी ने प्रतिवादीगण संख्या–1 व उसके भाई पृथवीराज से दोनो बेचान द्वारा खसरा नम्बर– 152 रकबा– 81 बीघा 18 विस्वा मे से 20 बीघा कृषि भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया व खातेदारी अधिकार प्राप्त किये, जिसका द्वितीय सेटलमेंट मे खसरा खतौनी सम्वत् 2036 मे खसरा नम्बर– 152/1 रकबा– 12 बीघा व खसरा नम्बर– 152 रकबा– 8 बीघा कुल रकबा– 20 बीघा के नये खसरा नम्बर– 204 रकबा– 3.22 हैक्टर बने, जो प्रदर्श पी–3 एवं मिलान क्षेत्रफल से साबित होता है। वादीगण संख्या–1 व 2 के पिता व वादीगण संख्या–3 के पति नेना पुत्र हुकमा जाति– सिरवी के नाम खातेदारी दर्ज हुई व अलग खाता बना व पर्चा लगान जारी किया गया जो वादीगण संख्या–1 व 2 के पिता व वादीगण संख्या–3 के पति के नाम से हुआ है। वर्तमान खसरा नम्बर– 204 रकबा– 3.22 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम वार्षिक लगान रूपये– 22.54 रूपये वक्त द्वितीय सेटलमेंट मे वादीगण संख्या–1 व 2 के पिता व वादीगण संख्या–3 के

——क्रमशः पेज– 7 पर.....

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

पति नेना पुत्र हुकमा जाति– सिरवी निवासी– सेपटावा की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी तथा द्वितीय सेटलमेंट के पश्चात् सम्वत् 2047 से 2050 की जमाबंदी मे प्रतिवादीगण संख्या–1 व प्रतिवादीगण संख्या–2 के अधिन राजस्व कर्मचारी हल्का पटवारी ने धोखा धडी कर भूमि हडपने के उद्धेश्य से प्रतिवादी संख्या–1 को अवैध लाभ पहुचाने के उद्धेश्य से बिना अधिकार के वादीगण संख्या–1 व 2 के पिता व वादीगण संख्या–3 के पति नेना पुत्र हुकमा जाति– सिरवी निवासी– सेपटवा की खातेदारी कृषि भूमि खाता सं0– 92 खसरा नम्बर– 204 रकबा– 3.22 हैक्टर किस्म बारानी दर्ज था, को राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे गलत इन्द्राज दर्ज किया व नेना पुत्र हुकमा के स्थान पर नेमा पुत्र हुकमा जाति– सिरवी 1/2 हिस्सा दर्ज किया व 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या–1 के नाम दर्ज किया। जो बिना आधार से गलत रूप से दर्ज होना उपरोक्त विवेचन से साबित होता है जबकि उक्त खसरा नम्बर– 204 की सम्पूर्ण कृषि भूमि का खातेदारी हक हकूक विधि अनुसार वादीगण संख्या–1 व 2 के पिता व वादीगण संख्या–3 के पति नेना पुत्र हुकमा मे निहित है वादीगण संख्या–1 व 2 के पिता व वादीगण संख्या–3 के पति नेना पुत्र हुकमा का 8 माह पूर्व देहांत हो चुका है तथा नेना पुत्र हुकमा कौम– सिरवी निवासी– सेपटावा के विधिक उत्तराधिकारी वादीगण है इसलिए खसरा नम्बर– 204 रकबा– 3.22 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम मे नेना पुत्र हुकमा की मृत्यु होते ही खातेदारी हक हकूक वादीगण मे निहित हो गये व उक्त कृषि भूमि पर वादीगण संख्या–1 व 2 के पिता व वादीगण संख्या–3 के पति का वक्त खरीद से मृत्यु तक कब्जा काश्त रहा व मृत्यु के बाद वादीगण का कब्जा काश्त होना दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से साबित होता है। इसके विपरित प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से प्रस्तुत जबाबदावा मे लिया गया यह उजर कि कि खसरा नम्बर– 152 रकबा– 81 बीघा 18 विस्वा के खातेदार मगनसिंह, पृथ्वीराज पिसरान हरीरामजी कौम– पुरोहित है। इस कृषि भूमि मे से 10 बीघा कृषि भूमि दो भागो मे पृथ्वीराज पुत्र हरीरामजी पुरोहित ने मृत नेना पुत्र हुकमा जाति– सीरवी, निवासी– सेपटावा ने बेची। प्रतिवादी नम्बर–1 मगनसिंह पुत्र हरीरामजी कौम– पुरोहित सा0 सेपटावा ने मृत नेना पुत्र हुकमा जाति– सीरवी को कृषि भूमि बेचान नही की न ही प्रतिफल की राशि प्राप्त प्रतिवादी नं0–1 मगनसिंह ने मृत नेना पुत्र हुकमा सीरवी से प्राप्त किया, न ही मगनसिंह ने कब्जा मृत नेना को सुपुर्द किया इसलिए इस कृषि भूमि के नये खसरा नम्बर– 204 क्षेत्रफल– 3.22 हैक्टर मे प्रतिवादी नम्बर–1 मगनसिंह का 1/2 हिस्सा व मृत नेना पुत्र हुकमा का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। प्रतिवादी संख्या–1 ने कोई गलत इन्द्राज नहीं करवाया है कानून के माफिक राजस्व रेकर्ड तैयार रखने की जुम्मेवारी राजस्व अधिकारीयो/कर्मचारियो की है वादीगण पूरे रकबे की खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के अधिकारी नही है किसी प्रकार से साबित नही होता है चूकि कथित रजिस्टर्ड विकय विलेख प्रदर्श पी–1ए एवं प्रदर्श पी–2ए दोनो खातेदारो प्रतिवादी संख्या–1 एवं पृथ्वीराज द्वारा निष्पादित सुदा है। जिससे प्रतिवादी का यह कहना कि वादग्रस्त भूमि मगनसिंह ने विकय नही की हो, मानने योग्य नही है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन मे मेरी विनम्र राय मे वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि नये खसरा नम्बर– 204 रकबा– 3.22 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि

——कमशः पेज– 8 पर.....

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

के वादीगण खातेदारी घोषणा पाने के अधिकारी है। अतः इस तनकी को वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

<u>5– तनकी नम्बर– 5–</u> आया दिनांक–10/03/2000 को प्रतिवादीगण ने भूमि को कुर्क करने तथा वादी को बेदखल करने की धमकी देने से वाद कारण पैदा हुआ–

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा अपने वाद–पत्र के पैरा संख्या– 6 मे वर्णन किये अनुसार एवं वाद–पत्र के अभिवचन अनुसार वादीगण को इस वाद का वाद कारण उदित होना प्रतीत होता है। अतः इस तनकी का इसी अनुरूप निर्णित किया जाता है।

<u>6– तनकी नम्बर– 6–</u> आया वादीगण प्रतिवादीगण के स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द्ध कराने के अधिकारी है–

इस तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर है। उपर की तनकियात के विवेचन अनुसार वादीगण वादग्रस्त भूमि के संबंध मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है अतः इस तनकी को वादीगण के पक्ष मे निर्णत किया जाता है।

<u>7– तनकी नम्बर– 7–</u> आया उतरवाद के च0स0–1 के वर्णन अनुसार भूमि प्रतिवादी के बजाय पृथवीराज पुत्र हरिरामजी ने 10 बीघा बेची एवं अतः दावा खारिज योग्य है–

इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या–1 पर है। तनकी संख्या– 4 का विस्तृत विवेचन अनुसार निर्णित वादीगण के पक्ष मे किये जाने से एवं प्रतिवादी द्वारा इस तनकी को किसी भी साक्ष्य से साबित नही कराया है अतः इस तनकी को प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

<u>8– तनकी नम्बर– 8–</u> आया उत्तर वाद की च0सं0– 5 के वर्णानुसार दावा राजस्व न्यायालय द्वारा विचारणीय नही होने से दावा खारिज योग्य है–

इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी सं0–1 पर है एवं प्रतिवादी द्वारा किसी सक्षम साक्ष्य से इसे साबित नही कराया गया है एवं वादीगण का दावा अन्तर्गत धारा– 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत होने से इस अधिनियम की धारा– 207 के अधीन तृतीय अनुसूची के अनुसार वाद हाजा राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है अतः इस तनकी को प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

<u>9– तनकी नम्बर– 9–</u> आया उत्तर वाद की च0सं0– 9 के वर्णानुसार कानूनी बिन्दु पर दावा खारिज योग्य है–

इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी द्वारा इसे किसी सक्षम साक्ष्य द्वारा साबित नही किया है अतः इस तनकी को प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

——क्रमशः पेज– 9 पर.......

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

10– तनकी नम्बर– 10– आया कान्टर क्लेम की च0स0– 1 के वर्णानुसार प्रतिवादी संख्या–1 अपना आधा हिस्सा घोषित कराने का अधिकारी है–

इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी द्वारा किसी सक्षम साक्ष्य से अपने प्रतिदावा को साबित नही कराया है अतः इस तनकी को प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

11– तनकी नम्बर– 11– दादरसी– उपरोक्त तनकियात के विनिश्चय एवं निर्णित अनुसार वादीगण वाद–पत्र मे चाहे अनुसार दादरसी पाने के अधिकारी है अतः इसी अनुरूप इस तनकी को निर्णित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार तनकी संख्या–1 से लगाय– 6 का विनिश्चय व निर्णय वादीगण के पक्ष मे एवं तनकी संख्या– 7 से लगाय–10 का विनिश्चय एवं निर्णय प्रतिवादी सं0–1 के विरूद्ध किये जाने के फलस्वरूप मेरी विनम्र राय मे वादीगण का यह वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

–: आदेश :–

अतः वादीगण का यह वाद अन्तर्गत धारा– 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री सादिर की जाती है कि– वादग्रस्त आराजी मौजा सरहद ग्राम–सेपटावा, पटवार हल्का– इन्दरवाडा, तहसील– रानी मे स्थित खसरा नम्बर– 204 क्षेत्रफल– 3.2200 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम, लगान रूपयां– 22.54 सम्पूर्ण वादीगण लकमाराम पुत्र नेनाजी, खरताराम पुत्र नेनाजी, कस्तू बेवा नेनाजी, जातिगण– सीरवी निवासीगण– सेपटावा की खातेदारी आधिपत्य की घोषित की जाती है जिस अनुरूप निर्णय एवं डिक्री की पालना मे तहसीलदार, रानी वादग्रस्त उक्त सम्पूर्ण आराजी का राजस्व अभिलेख मे अमलदरामद कर वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी वादीगण लकमाराम पुत्र नेनाजी, खरताराम पुत्र नेनाजी, कस्तू बेवा नेनाजी, जातिगण– सीरवी निवासीगण– सेपटावा के नाम खातेदारी की दर्ज करे एवं प्रतिवादी मगनसिंह पुत्र हरिराम, पुरोहित का नाम खातेदारी से विलोपित किया जाकर हटाया जावे। प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के वादीगण के कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग मे कोई रोक–टोक, बाधा, अवरोध नही करे न किसी अन्य ही करावे। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

सहायक कलेक्टर(एसडीओ), रानी.
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

निर्णय आज दिनांक–2/8/2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर(एसडीओ), रानी
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Aditi Purohit
Date: 2019.09.12 16:32:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: